रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4440] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940
No. 4440] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

का.आ. 5652(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, त्रिपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, त्रिपुरा कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

1. डा0 जाहर लाल साहा, - अध्यक्ष
   रोड नं0 15, धालेश्वर, पी.पी. धालेश्वर,
   अगरतला- 799007

2. श्री समीर कान्ती भूषण, - सदस्य
   भाटी अभयनगर (प0), शिव शनि
   मंदिर के निकट, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा- 799001

3. निदेशक, विज्ञान प्रौद्योगिकी और - सदस्य सचिव
   पर्यावरण विभाग, त्रिपुरा सरकार

2. त्रिपुरा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. त्रिपुरा प्राधिकरण ऐसी शक्तियों और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

4. त्रिपुरा प्राधिकरण इस आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय आधारित करेगी।

5. केंद्रीय सरकार, त्रिपुरा प्राधिकरण की सहायता के लिए, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. डा0 उमेश मिश्रा,
आचार्य, सिविल इंजीनियरी, एनआईटी, अगरतला,
जिरानिया, पश्चिमी त्रिपुरा- 799046 - अध्यक्ष ;

2. डा0 आशीष मिश्रा,
सह-आचार्य, रसायन विभाग, एम.बी.बी. कालेज,
त्रिपुरा (प0)- 799004 - सदस्य ;

3. डा. मृन्मोय दत्ता,
ओएसडी और प्रधान, कृषि कालेज,
डाकघर लेम्बुचेरा,
त्रिपुरा (प0)- 799210
सह आचार्य, भूगोल विभाग
ए एन कालेज, पटना - सदस्य ;

4. डा0 इन्द्रनील भौमिक,
सह-आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय,
सूर्यमणिनगर – 799022 - सदस्य ;

5. श्री पवन कुमार कौशिक,
वैज्ञानिक ई,
वन आधारित आजीविका और प्रसार केंद्र,
शाल बागान वन परिसर, डाकघर- गांधीग्राम, अगरतला- 799012,
त्रिपुरा - सदस्य ;

6. श्री श्वपन कुमार दास,
कैपिटल काम्प्लेक्स, गवर्नमेंट क्वार्टर,
टाइप/IV/A/5, कुंजबन, अगरतला,
पश्चिमी त्रिपुरा- 799006 - सदस्य ;

7. वैज्ञानिक ग, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सचिव।

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, का समर्थन प्रदान करेगी ।

10. त्रिपुरा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, त्रिपुरा के अध्यक्ष और सदस्यों को त्रिपुरा सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार बैठक करने की फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं.जे 11013/76/2013-आई ए, I(I)]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2018

S.O. 5652(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuanceof the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority,Tripura(hereinafter referred to as the Authority,Tripura) comprising of the following members, namely: -

(1.)	Dr. Jaharlal Saha, Road No. 15 Dhaleswar, P.P. Dhaleswar, Agartala - 799007, Tripura	-	Chairman;
(2.)	Shri Samir Kanti Bhusan, Bhati Abhoynagar (West), Near Shiv Sani Mandir, Agartala, Tripura West - 799001	-	Member;
(3.)	Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Tripura	-	Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority,Tripurashall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority,Tripura shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority,Tripura shallbase its decision onthe recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Tripura constituted under paragraph 5 of this order.

5. For the purposes of assisting the Authority,Tripura, the Central Government, in consultation with the Government of Tripura, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Tripuracomprising of the following members, namely :-

(1.)	Dr. Umesh Mishra, Professor, Dept. of Civil Engg., NIT Agartala, Jirania, West Tripura - 799046	-	Chairman;
(2.)	Dr. AsishMitra, Associate Professor, Department of Chemistry, M.B.B. College, Tripura (West) - 799004	-	Member;
(3.)	Dr.MrinmoyDatta, OSD & Principal, College of Agriculture, PO Lembucherra, Tripura (West) - 799210	-	Member;
(4.)	Dr. Indraneel Bhowmik, Associate Professor, Department of Economics, Tripura University, Suryamaninagar - 799022	-	Member;
(5.)	Shri Pawan K. Kaushik, Scientist E, Centre for Forest based Livelihoods and Extension,Shal Bagan forest Campus, PO - Gandhigram, Agartala - 799012, Tripura	-	Member;
(6.)	Shri Swapan Kumar Das, Capital Complex, Government Quarter, Type/IV/A/5, Kunjaban, Agartala, West Tripura - 799006	-	Member;
(7.)	Scientist C, Tripura State Pollution Control Board	-	Secretary.

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee,Tripura shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee,Tripura shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee,Tripura shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Tripurashall notify an agency to act as Secretariat for the Authority,Tripuraand the State Level Expert Appraisal Committee,Tripura, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority,Tripura and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Tripurashall be paid in accordance with the relevantrules of the Government of Tripura.

[F. No. J-11013/76/2013-IA-II(I)]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.13 16:52:50 +05'30'